हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	ओमप्रकाश बनाम मोहनसिंह वगैरह	
14/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद Regd तामील हाजिर अदालत नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/9/25 को पेश होवे। [signature]	
1/9/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 19/9/25 को पेश हो। [initials]	
19/9/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 27/10/25 को पेश हो। [initials]	
27/10/25	पत्रा० पेश हुई। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। अभिलेख एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी जमाबंदी में खातेदार तो है लेकिन सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु उसके पक्ष में परिलक्षित नहीं होता है कि अप्रार्थीगण उसको बाधा/क्षति किस आधार पर पहुंचायेंगे। न अप्रार्थीगण, उसके पड़ोसी खातेदार है और न पारिवारिक रंजिश से प्रार्थी ने अवगत करवाया है। अभिलेख में ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ओमप्रकाश / मोहनसिंह वगैरा	

विवाद, सीमांत झगड़ा / सीमा सम्बन्धी विवाद अथवा वैमनस्य रहा हो।

प्रस्तुत परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अपेक्षित त्रिस्तरीय आधार 1) Prima-facia case, 2) Balance of Convenience एवं 3) Irreparable loss - में से कोई भी तत्व यथोचित रूप से सिद्ध नहीं होते। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा (T.I.) प्रदान किए जाने हेतु कोई वैधानिक / न्यायसंगत आधार प्रतीत नहीं होता। परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत T.I. की मांग निरस्त / अस्वीकार की जाती है। पत्रा. फैसलशुदा होकर दर्ज रजि. से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)